

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 14.07.2024

अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुनील कुमार गुप्ता पुत्र राजबली गुप्ता निवासी छपिया मिश्र भंगारी थाना खामपार जनपद देवरिया को 5.199 किग्रा0 अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 242 /24 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.07.2024 को वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुनील कुमार गुप्ता उपरोक्त को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त सुनील कुमार गुप्ता पुत्र राजबली गुप्ता निवासी छपिया मिश्र भंगारी थाना खामपार जनपद देवरिया

- i. मु0अ0सं0 242 /24 धारा 8/20 NDPS Act थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 098 /23 धारा 279, 304-A, 337,338 थाना श्रीरामपुर (खामपार) जनपद देवरिया

बरामदगी-

5.199 किग्रा0 अवैध गांजा

गिरफ्तारी की टीम-

1. विनय कुमार सिंह चौकी प्रभारी टीपीनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. हे0 का हरेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 शमशेर बहादूर सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर